न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी–राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

दर्ज दिनांक 24.03.2022

50 / 2022 (2022 / 123)

ारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

मोहनलाल गुर्जर निवासी कालाढूंढा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

–प्रार्थीया

बनाम

1. गारा पुत्री होकमा गुर्जर
2. नारायणलाल आत्मज नारू गुर्जर
3. भुरा आत्मज होकमा गुर्जर
4. रूपी पत्नि नारू गुर्जर
5. गोपी आत्मज भुरा गुर्जर

सर्व निवासी कालाढूंढा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा। –विपक्षीगण

उपस्थिति– **अधिवक्ता प्रार्थीयाः–श्री शंभुलाल गुर्जर**

विपक्षी संख्या 1, 3 लगायत 5:–अनुपस्थित

विपक्षी संख्या 02:– उपस्थित

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u> ::

निर्णय दिनांक:–16.05.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम कालाढूंढा पटवार हल्का शिवरती तहसील सहाड़ा में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 984/2 रकबा 0.42 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.42 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 237 पर दर्ज होकर स्थित हैं। जिनकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1, 3 लगायत 5 बावजूद सूचना अनुस्थित अतः इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 02 स्वयं उपस्थित जिसने निवेदन किया कि मौके पर रास्ता निकलता है जिसे प्रभावित नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी की जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीया के अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थीया के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम कालाढूंढा पटवार हल्का शिवरती तहसील सहाड़ा में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 984/2 रकबा 0.42 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.42 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 237 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीया बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीया अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा